

पत्र संख्या-एस0एस0-मुख्य सचिव बैठक अनुपालन-2016-17/ 1233 / वाणिज्य कर

कार्यालय : कमिश्नर, वाणिज्य कर, 30प्र0 ।

(संख्या अनुभाग)

लखनऊ : दिनांक : 10-03-2017

:: कार्यालय आदेश ::

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा कर-करेत्तर राजस्व की समीक्षा के क्रम में निर्देशित किया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में प्राप्त राजस्व एवं वृद्धि दर की तुलनात्मक समीक्षा अन्य राज्यों से भी की जाये तथा अन्य राज्यों में राजस्व वृद्धि हेतु किये जा रहे विशेष प्रयासों अथवा प्रवर्तन के सम्बन्ध में लागू प्रक्रियाओं का अध्ययन कर उनमें से उत्तर प्रदेश राज्य के लिए उपयोगी प्रक्रियाओं को प्रदेश में भी लागू कराया जाये । अतः विभिन्न राज्यों हेतु निम्नवत् अधिकारियों को सम्बन्धित राज्य का नोडल अधिकारी नामित किया जाता है ।

क्र०सं०	राज्य का नाम	नामित अधिकारी का नाम, पदनाम
1	बिहार	श्री संजय कुमार पाठक, ज्वा०कमि०(वि०अनु०शा०) सम्भाग-बी, वाराणसी
2	मध्य प्रदेश	श्री बृजेश कुमार मिश्रा, ज्वा०कमि०(वि०अनु०शा०) इटावा
3	उत्तराखण्ड	श्री दिनेश कुमार, ज्वा०कमि०, सम्भाग-बी मुरादाबाद
4	हरियाणा	श्री राम प्रकाश, ज्वा०कमि०, गौतमबुद्धनगर
5	पंजाब	श्री राकेश कुमार यादव, ज्वा०कमि०, सम्भाग-सी, गाजियाबाद
6	झारखण्ड	श्री बिजेन्द्र कुमार शुक्ला, ज्वा०कमि०(वि०अनु०शा०) वाराणसी
7	छत्तीसगढ़	श्री राकेश कुमार खण्डेलवाल, ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि०अनु०शा०) इलाहाबाद,
8	दिल्ली	श्री हीरा लाल, ज्वा०कमि०, सम्भाग-ए, गाजियाबाद
9	गुजरात	श्री राजेश कुमार पाण्डेय, ज्वा०कमि० (संग्रह) मुख्यालय
10	महाराष्ट्र	श्री अनूप कुमार माहेश्वरी, ज्वा०कमि० (जी०एस०टी) मुख्यालय
11	तेलंगाना	श्री अमरेश त्रिपाठी, ज्वा०कमि०(सेवावाद) मुख्यालय
12	कर्नाटक	श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह, ज्वा०कमि०(विधि) मुख्यालय
13	आन्ध्र प्रदेश	श्री राम प्रवेश प्रसाद, ज्वा०कमि० (परिवाद) मुख्यालय

उपरोक्त अधिकारियों द्वारा निम्न बिन्दुओं पर अध्ययन करते हुए प्रत्येक माह विस्तृत रिपोर्ट एडीशनल कमिश्नर (जी०एस०टी०) वाणिज्य कर, मुख्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी तथा इसकी एक प्रतिलिपि संख्या अनुभाग को भी उपलब्ध कराई जायेगी ।

1. संगत वर्ष में माह में एवं माह तक राजस्व लक्ष्य उसके सापेक्ष प्राप्ति तथा गत वर्ष की तुलना में कमी अथवा वृद्धि कारण (यह आँकड़े आयल व नान आयल के अलग-अलग प्राप्त किये जायेंगे)
2. राज्य में कमी / वृद्धि के सम्बन्ध में कारण एवं उनके कारणों की समीक्षा ।
3. सम्बन्धित राज्य द्वारा गत वर्ष अथवा संगत वर्ष में यदि किन्हीं वस्तुओं में कर की दर में कमी अथवा वृद्धि की गई है तो उसका संक्षिप्त विवरण और राज्य में पड़ने वाले प्रभाव ।
4. सम्बन्धित राज्य में पेट्रोलियम पदार्थों पर कर की दर, सेस आदि का विवरण तथा उत्तर प्रदेश राज्य में लागू दरों से तुलना ।
5. सम्बन्धित राज्य में पारित महत्वपूर्ण विधिक निर्णय (यदि कोई हो और उसका राज्य पर प्रभाव) ।

उपरोक्त नामित अधिकारी सम्बन्धित राज्य के लिए एकल सम्पर्क सूत्र (Single Point of Contact) के रूप में कार्य करेंगे तथा सम्बन्धित राज्यों में अपने समकक्ष एवं वरिष्ठ अधिकारियों से व्यक्तिगत समन्वय व सम्पर्क स्थापित करते हुए कार्य करेंगे । सम्बन्धित नामित अधिकारी स्वयं से सम्बन्धित राज्य के कमिश्नर, वाणिज्य कर के कार्यालय के सम्पर्क में रहेंगे तथा सूचनाएँ प्राप्त करेंगे । इस हेतु सभी नामित अधिकारियों द्वारा माह मार्च-17 में सम्बन्धित राज्य में जाकर भ्रमण करके

